चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत आज दिनांक 16.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में थाना सरधुवा की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा कस्बा सरधुवा में, थाना बहिलपुरवा की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा पुराना बहिलपुरवा,रेलवे स्टेशन एवं थाना मारकुण्डी की एण्टीरोमियों टीम द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओं को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के अलावा जागरुकता हेतु चलाए जा रहे अभियानों के बारे में सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 16.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी प्रकाश मिश्रा द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र कुमार पुत्र रामनारायण निवासी बरुआ थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज(सी0डि0) श्री सचिन कुमार दीक्षित द्वारा थाना कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0 558/2012 धारा 279,337,338,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त धरमू पुत्र शिवऔतार भारद्वाज निवासी अकबरपुर थाना कोतवाली कर्वी (वर्तमान थाना भरतकूप) जनपद चित्रकूट को 3000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री शिवआसरे के मार्गदर्शन में थाना मारकुण्ड़ी पुलिस टीम द्वारा नवजात बच्ची को बेचने वाले पिता को बच्ची के बेंच के 10 हजार रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक-11.10.2024 को वादी सुनील कुमार बसोज पुत्र नत्थू प्रसाद निवासी डोडामाफी थाना मारकुण्ड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मारकुण्डी में सूचना दी गयी थी एक कार में तीन लोग व एक महिला आयी और बोली की हम सरकारी आदमी हैं आपकी बच्ची का टीकाकरण होना है जिसके लिये अस्पताल चलना पड़ेगा तथा सरकारी सहायता राशि दिलाने के बहाने उन्हें धोका देकर नवजात बच्ची को लेकर फरार हो गये। इस सूचना के आधार पर थाना मारकुण्डी में मु0अ0स0 60/24 धारा 137(2),319(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

प्रकरण के सम्बन्ध में दिनाँक 13.10.2024 एसओजी एवं थाना मारकुण्डी पुलिस द्वारा घटना का खुलाशा करते हुये 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था तथा नवजात बच्ची को बरामद किया गया था। जांच से यह तथ्य प्रकाश में आये थे कि बच्ची के पिता तथा वादी मुकदमा उपरोक्त द्वारा स्वयं बच्ची को बेंचा गया था। अभियुक्तों के कब्जे से नवजात बच्ची की बरामदगी एवं खरीद फरोख्त की बात प्रकाश में आने के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 81,84,87 जे0जे0 एक्ट की बढोत्तरी की गयी थी।

दिनाँक 16.10.2024 को उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा बच्ची के पिता तथा वादी मुकदमा सुनील कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से बच्ची को बेंचने में प्राप्त 10 हजार रुपये बरामद किये गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

सुनील कुमार बसोर पुत्र नत्थू प्रसाद निवासी डोडामाफी थाना मारकुण्ड़ी जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

बच्ची के बेंच के 10 हजार रुपये

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह थाना मारकुण्डी
2.मुख्य आरक्षी कलीमुद्दीन
3.आरक्षी अतुल परिहार

(6). आज दिनाँक 16.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये
(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री अंजुलिका प्रियदर्शिनी द्वारा कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 247/2021 धारा 279,337,338,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त दिलीप कुमार पुत्र राजकुमार निवासी पुरे भगवत जनपद प्रतापगढ़ को 2500 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।